**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**OA NO.1398 OF 2024**

**<u>IN THE MATTER OF</u>:**

**DHRAMPAL ….APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & ORS. …RESPONDENT(s)**

**<u>INDEX</u>**



| S.NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, BAGHPAT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 12.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI | |
| | ANNEXURES | |
| 2. | COPIES OF ORDERS DT. 05.09.2024, 13.11.2025 AND 18.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 1. | |
| 3. | COPY OF THE LETTER DT. 16.01.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 2. | |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **COPY OF THE RANGE CASE NO. 32/2023-24 WITH COMPLAINT CASE FILED THEREIN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 3.** | |
| **5.** | **COPIES OF RANGE CASE NO. 14/2024-2 ALONGWITH THE COMPLAINT CASE FILE THEREIN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 4.** | |

**THROUGH COUNSEL**

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

**Date: 28.02.2025**

**Place: NOIDA**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**ORIGINAL APPLICATION NO.1398 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**DHRAMPAL** ...**APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.** ...**RESPONDENTS**

NOTARIAL

NOTARIAL

**REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, BAGHPAT IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 12.12.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL**

I, Vinod Kumar aged about 53 years, S/o Shri Ram Babu, posted as DFO, Baghpat, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY 27/02/2026

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

## I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present Original Application, the complainant has alleged that a large number of trees standing on forest land have been illegally felled. It has further been alleged that such felling of trees has taken place in collusion with the local forest authorities, who have failed to take any preventive or prohibitive action to safeguard the standing trees and to prevent violations on the said land. The complainant has, accordingly, prayed for appropriate directions from this Hon'ble Tribunal for protection of forest land and initiation of action against the alleged violators and delinquent officials.

4. That, vide Order dated **08.01.2025**, the Hon'ble Tribunal constituted a Joint Committee, which submitted its report by way of Affidavit dated **23.04.2025** before this Hon'ble Tribunal (*kindly refer judicial pages 68–86*). In the said report, the Joint Committee observed **illegal felling of 44 old and new stumps and branches** (*refer para 4, judicial page 72*).

5. That, the matter was last listed for hearing on **12.12.2025** wherein the Hon'ble Tribunal has directed as follows-

   "*1. A letter has been circulated by learned Counsel for the State of Uttar Pradesh seeking two weeks' time to file the updated reply.*

27/01/2026

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

*2. Learned Counsel for the Applicant also submits that he has come to know that the original Applicant – Dhrampal has died in the meanwhile. He seeks time to verify this fact and do the needful. The prayer is allowed.*

*3. List on 09.03.2026.*"

**II. REPLY IS AS FOLLOWS**

**A. DEPARTMENTAL ACTION TAKEN AGAINST THE RESPONSIBLE FOREST STAFF**

6. That, in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, departmental proceedings have been initiated against the responsible forest staff including disciplinary action under U.P. Government Servants' Conduct Rules, 1956, including suspension and proceedings for recovery of the loss caused to the Government due to illegal felling of trees.
7. That, vide Order No. **04/2-42(P.C.)** dated **05.09.2024**, the deponent department placed **Forest Guard Mr. Mohit Chaudhary** under suspension, which was subsequently revoked vide Order dated **13.11.2025 (after approximately 14 months**). Thereafter, upon conclusion of the departmental inquiry, the deponent department, vide **Order No. 02/2-20-Baghpat** dated **18.10.2025**, imposed a penalty of Rs. **29,332/-** upon Forest Guard Mr. Mohit Chaudhary, being **50% of the assessed value (Rs. 58,664/-) of 44 Prosopis Juliflora trees found to have been illegally felled, with recovery directed**

NOTARY 27/02/2026

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

**from his salary**. Additionally, a **departmental censure/warning has been issued**.

Copies of Order dated 05.09.2024, 13.11.2025 and 18.10.2025 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-1***.

8. That, further, vide Letter No. **2159/2-42-Meerut** dated **16.01.2025**, a departmental inquiry has been initiated against **Van Daroga/Forester Mr. Rahul Kumar Nain**. In the said proceedings, imposition of a penalty of **Rs. 19,555/-, being one-third of the assessed value (Rs. 58,664/-) of 44 Prosopis Juliflora trees found to have been illegally felled**, has been proposed, with recovery directed from his salary. Upon conclusion of the inquiry, the proposed penalty, along with consequential action under U.P. Government Servants' Conduct Rules, 1956, shall be imposed, subject to the charges being duly established.

A copy of letter dated 16.01.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

## B. PUNITIVE LEGAL ACTION TAKEN AGAINST THE ACCUSED PERSONS

9. That, it is humbly submitted that the deponent department has taken punitive legal action in accordance with law against the offenders for **illegal felling of trees within the Notified Reserved Forest Area**. In this regard, Range Case No. **32/2023-24** was registered against accused **Yasin**, and Range Case No.

NOTARY 27/02/2026

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

**14/2024-25** was registered against accused **Danish s/o Mr. Yakoob** for illegal felling of 24 Prosopis Juliflora trees inside the Notified Reserved Forest Area. Pursuant thereto, investigations were duly conducted and compliant case have been submitted before the learned Chief Judicial Magistrate, Baghpat, in both matters.

Copies of Range Case No. 32/2023-24 along with the complaint case filed therein are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-3***. Copies of Range Case No. 14/2024-25 along with the complaint case filed therein are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-4***.

10. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**
प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

GOVT. OF INDIA

AT 27/02/2026

Vipin Kumar
Advocate, Notary
Baghpat

**VERIFICATION**

Verified at Baghpat on this 27 day of February 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

प्रभागीय वनाधिकारी
DEPONENT
बागपत वन प्रभाग
बागपत

ATTESTED
27/02/2026
Vipin Tomar
Advocate Notary
Bagnpat

ANNEXURE R-1

## कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।

## वनादेश सं0 04/2–42(पी0सी0) दिनांक, बागपत, 5 सितम्बर 2024

### निलम्बन आदेश

श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक, बागपत रेंज को, जिनके विरूद्व निम्नलिखित आरोप से सम्बन्धित अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, को एतदद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है:—

1— श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक के कार्यक्षेत्र खपराना बीट के अन्तर्गत शाहपुर बाणगंगा एवं कोहिनाबाद वन ब्लाक में अवैध कटान पाये जाने तथा अवैध कटान के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने एवं ड्यूटी में लारवाही करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन न करना।

2— निलम्बन की अवधि में श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक, को वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड दो, भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हो, भी अनुमन्य होगें, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्तों के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते के उपांतिक सेवायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर आधा वेतन निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगें जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त जीवन निर्वाह भत्ते अनुमन्य है।

3— श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक को निलम्बन अवधि में बागपत वन प्रभाग बागपत के प्रभागीय कार्यालय से सम्बद्व रहेंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग, बागपत।

पत्र संख्या 376 /2–42(पी0सी0) दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग, बागपत।

पत्र संख्या 376 /2–42(पी0सी0) दिनांकित।

1— प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बड़ौत को तीन प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की एक प्रति श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक को तामील कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद दिनांकित सहित हस्ताक्षर कराकर प्रभागीय कार्यालय को वापस प्रेषित करें। तीसरी प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों हेतु सुरक्षित रख लें।

2— प्रतिलिपि श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी बड़ौत।

3— प्रतिलिपि प्रभारी अधिष्ठान शाखा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में आरोप पत्र का आलेख प्रस्तुत करें।

4— गार्डबुक।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग, बागपत।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,बागपत वन प्रभाग,बागपत।**
**वनादेश संख्या 06 /2–1, दिनांक, बागपत 13/11/ 2024.**

## सेवा में पुर्नस्थापना आदेश

इस कार्यालय के वनादेश संख्या 04/2–42(पी0सी0) दिनांक 05.09.2024 द्वारा श्री मोहित चौधरी, वन रक्षक को बड़ौत रेंज के बरनावा सैक्शन की खपराना बीट के अन्तर्गत शाहापुर बांणगंगा व कोहिनाबाद वन ब्लाक में हुए अवैध पातन के प्रकरण में निलम्बित किया गया था। श्री मोहित चौधरी, निलम्बित वन रक्षक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक से अपनी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति सही न होने से अवगत कराया गया है। श्री मोहित चौधरी, सेवानिवृत्त, वन रक्षक को उनकी अर्थिक स्थिति के दृष्टिगत इस प्रतिबंध के साथ सेवा में पुर्नस्थापित किया जाता है कि इस प्रकरण में अन्तिम जांच तक अनुशासनिक कार्यवाही यथावत बनी रहेगी। निलम्बन काल की अवधि के वेतन इत्यादि के संबंध में निर्णय अनुशासनिक कार्यवाही के निर्णय के अधीन रहेगा। सेवा में पुर्नस्थापना के उपरान्त श्री मोहित चौधरी, वन रक्षक को बागपत रेंज में तैनात किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

**पत्रांक 759 /2–1, तद्दिनांकित।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत।
3– उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत।
4– क्षेत्रीय वन अधिकारी, बागपत।
5– श्री मोहित चौधरी, वनरक्षक द्वारा प्रधान लिपिक, बागपत वन प्रभाग, बागपत।
6– प्रतिलिपि अधिष्ठान प्रभारी/गार्ड बुक।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
पत्रांक 2159 /2–42, दिनांक, मेरठ, 16/01/ 2025.

सेवा में,

श्री राहुल कुमार नैन,
वनविद।

द्वाराः– जॉच अधिकारी।

विषयः– आरोप पत्र।

आप दिनांक 28.12.2023 से वर्तमान तक बागपत वन प्रभाग की बडौत रेंज के अन्तर्गत बरनावा सैक्शन के प्रभारी के रूप में कार्यरत रहे। उक्त अवधि में आपके कार्यक्षेत्र बरनावा सैक्शन के शाहापुर बाणगंगा एवं कोहिनाबाद वन ब्लाक में अवैध कटान हुआ जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 2560/2–1, दिनांक 25.06.2024 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया। आपके द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दश में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 241/2–1, दिनांक 13.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया। उक्त क्षेत्रों में हुए अवैध पातन की शिकायत प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 343/28–3, दिनांक 02.09.2024 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ द्वारा अपने पत्रांक 23/28–3, दिनांक 05.09.2024 से अनन्तिम जांच आख्या एवं पत्रांक 33/28–3 दिनांक 08.10.2024 द्वारा अन्तिम जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी। उप प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ की जांच में पाया गया कि शाहापुर बाणगंगा वन ब्लाक में 05 ठूठ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा एवं कोहिनाबाद वन ब्लाक में 39 ठूठ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा कुल 44 ठूठ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के पाये गये। उप प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ की जॉच की तिथि तक उक्त अवैध कटान के सम्बन्ध में आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः शाहपुर बाणगंगा वन ब्लाक में 05 ठूठ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा एवं कोहिनाबाद वन ब्लाक में 39 ठूठ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा कुल 44 ठूठ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा अवैध कटान के लिए आपको एतदद्वारा आरोपित किया जाता हैः–

**आरोपः–**

आप बड़ौत रेंज के बरनावा सैक्शन के प्रभारी के रूप में कार्यरत है। आपके कार्यक्षेत्र बरनावा सैक्शन की खपराना बीट के अन्तर्गत शाहापुर बाणगंगा वन ब्लाक एवं कोहिनाबाद वन ब्लाक में हुए अवैध कटान की शिकायत की जांच प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत के पत्रांक 343/28–3, दिनांक 09.09.2024 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, प्रभाग मेरठ से करायी गयी। दिनांक 03.09.2024 की गयी जांच में श्री श्रवण कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बागपत, श्री सुनेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बडौत, श्री तारा दत्त जोशी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेरठ वन प्रभाग, मेरठ, श्री सौरभ अवस्थि, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, श्री मोहित चौधरी, वन रक्षक बीट प्रभारी खपराना, श्री संजय कुमार, वन रक्षक, बडौत बीट एवं आप स्वयं उपस्थित थे। उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ ने अपने पत्रांक 23/28–3, दिनांक 05.09.2024 से उक्त अवैध पातन की अनन्तिम जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी तथा दिनांक 04.10.2024 को उक्त क्षेत्र की अन्तिम जांच करते हुए अन्तिम जाचं रिपोर्ट पत्रांक 33/28–3, दिनांक 08.10.2024 से प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र में निम्नानुसार अवैध पातन पाया गयाः–

| क्र0 सं0 | वन ब्लाक का नाम | प्रजाति | कटे वृक्षों का व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर | शासकीय क्षति (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | शाहापुर बाणगंगा वन ब्लाक | प्रो0 ज्यूलिफ्लोरा | 2–3 | 2 | 744.00 | 1488.00 |
| 2 | | प्रो0 ज्यूलिफ्लोरा | 3–4 | 3 | 1632.00 | 4896.00 |
| 3 | कोहिनाबाद वन ब्लाक | प्रो0 ज्यूलिफ्लोरा | 1–2 | 2 | 178.00 | 356.00 |
| 4 | | प्रो0 ज्यूलिफ्लोरा | 2–3 | 15 | 744.00 | 11160.00 |
| 5 | कोहिनाबाद वन ब्लाक | प्रो0 ज्यूलिफ्लोरा | 3–4 | 19 | 1632.00 | 31008.00 |
| 6 | | प्रो0 ज्यूलिफ्लोरा | 4–5 | 3 | 3252.00 | 9756.00 |
| | योग | | | 44 | | 58664.00 |

(रू0 अठावन हजार छः सौ चौसठ मात्र)

R. Nain
1/2/25

आपके जॉच की तिथि तक भी उक्त अवैध कटान के सम्बन्ध में कोई वैधानिक कार्यवाही नही की गयी है। जिसकारण अवैध कटान से **रू0 58664.00 (रू0 अठावन हजार छः सौ चौसठ मात्र)** की शासकीय क्षति हुई है।

अतः आपको परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने, प्रश्नगत अवैध कटान से सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही न करने, प्रकाष्ठ बरामद करने का प्रयास न करने एवं उक्त कृत्य से **शासन को रूपये 58664.00 (रू0 अठावन हजार छः सौ चौसठ मात्र)** मात्र की हुई राजककीय क्षति के अनुपातिक भाग 1/3 अर्थात् रूपये 19555 (उन्नीस हजार पॉच सो पचपन) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–3 के उल्लघंन के लिए आरोपित किया जाता है।

इन आरोप की पुष्टि हेतु निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य पठनीय होगें:–

**अभिलेखीय साक्ष्यः–**

1– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक प–200/ 16–52 दिनांक 20.08.1994 की प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–1)।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत का पत्रांक 2560/2–1, दिनांक 25.06.2024 प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–2)।

3– प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत का पत्रांक 241/2–1, दिनांक 13.08.2024 प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–3)।

4– प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग का पत्रांक 343/28–3 दिनांक 02.09.2024 प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–4)।

5– उप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, प्रभाग, मेरठ का पत्र संख्या 23/28–3 दिनांक 05.09.2024 की प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–5)।

6– उप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, प्रभाग, मेरठ का पत्र संख्या 33/28–3 दिनांक 08.10.2024 की प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–6)।

7– उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम–3 की प्रमाणित छायाप्रति (संलग्नक–7)।

**2– मौखिक साक्ष्यः–**

क्र0सं0 01 से 07 तक अभिलेखीय साक्ष्यों की पुष्टि प्रभारी अधिष्ठान शाखा बागपत वन प्रभाग, बागपत द्वारा की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अपने बचाव में लिखित उत्तर साक्ष्यों सहित जॉच अधिकारी को प्रेषित कर दें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार जॉच अधिकारी एक तरफा जॉच आख्या प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगें।

अनुमोदित

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

प्रभागीय अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजियाबाद।

1/2/25

**ANNEXURE R-3**

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग, बागपत**

संख्या /10–4 दिनांक बागपत ..................

सेवा में ,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागपत ।

द्वारा : रेंज ऑफिसर बडौत रेंज

विषयः वन अपराध 32/2023-24

संदर्भ :भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित की धारा 26

महोदय

इस प्रभाग को वन अपराध संख्या ...32/2023-24.................के निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम यथा संशोधित की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत उचित दंड दिया जाये ।

1. शिकायत पत्र
2. मुक्त एच०टू केस संख्या 32/2023-24 मय सम्बन्धित रिपोर्ट के
3. न्यायालय में अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र
4. वकालतनामा

संलग्नक उपरोक्त

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

संख्या उक्त दिनांक

प्रतिलिपि रेंज ऑफिसर ...बड़ौत...............को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित उपरोक्त प्रलेखों को आज अपने न्यायिक अभभावक द्वारा जाँच करवाकर परगना दंड अधिकारी के न्यायलय में तुरंत प्रेषित करें ।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, बड़ौत रेंज, बागपत वन प्रभाग।

**पत्रांक 227/28–1, दिनांक 20/02/2025.**

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

विषयः– रेंज केस सं0 32/2023–24 की अन्तिम जाँच आख्या।

महोदय,

निवेदन है कि बड़ौत रेंज के अन्तर्गत जारी रेंज केस सं0 32/2023–24 की जाँच आख्या, जॉच अधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त मा0 न्यायालय में वाद दर्ज कराने हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः– 1– जाँच अधिकारी, जाँच रिपोर्ट।
2– नजरिया नक्शा।
3– यासीन पुत्र खैराती के बयान (समक्ष गवाहान )
4– एच–2 केस की प्रति।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

Scanned with OKEN Scanner

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

कल्याणकारी स्टाम्प RUPEES TEN G 01326928

# वकालतनामा

ब अदालत मुरत्सी – सर्वयिम क्तियुत्व विद्रेल ब्डरौत

मु० नं० सन् 2025 ई०

वादी / अपीलान्ट

सार्वजन

1-दानिश पुत्र याकूब कि वसावा
बनाम

मैं कि

हम कि

प्रतिवादी
रिसपांडन्ट

जो कि हमको पैरवी करना इस मुकदमे में आवश्यक है इसलिए अपनी ओर से

अदालती कानूनी का तयापता महनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस मुकदमा में हमारी ओर से सबूत दाखिल करें और प्रश्नोत्तर करें और प्रार्थना-पत्र प्रत्येक प्रकार का और अन्य कागजात इस मुकदमे के सम्बन्ध में सवाल एंवायत दाखिल व तसदीक करें या वादावा या सुलहनामा या दस्तवदारी दाखिल करें और रुपया यापतनी हमारा बाबत जर नगद व वापसी स्टाम्प कोर्ट फीस व तलवानी वगैरहा वसूल करके रसीद दें या अपनी जानिब से किसी को पंच मुकर्रिर करें और कुल काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करें या आवश्यकता पर किसी को इस मुकदमे की पैरवी के वास्ते वकील नियत करें या अपील दायर करें ख्वाह अपील में मेरी तरफ से जवाबदेही करें तथा कागजात सबूत दाखिल करें और किये हुये कागजात वापिस लें तथा वह सब वकील का कार्य स्वयं अपने किये हुये की तरह स्वीकार है और होगा एवं कलाय साहिबान को इख्तयार होगा कि अगर महनताना तयापता हस्व वायदय उनको वसूल न हो तो वह पैरवी बहस वगैरहा न करें इसलिये यह वकालतनामा लिख दिया कि सनद होवे और आवश्यकता के समय काम आवे।

फक्त तहरीर तारीख ........................ सन् १९

तारीख दाखिल ........................ सन् १९

Pradeep Kumar Kaushik
Advocate
Reg. No.-1115/1995
C.O.P.No.-51780/2018
Chamber No.-9, Block-C
Distt. & Session Court, Baghpat
Mob.-8979423745, 9410604136

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

# शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible] (बागपत)

अभियोग सं० 32/2023-24 बड़ौत रेंज

(1) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पद

(2) अभियुक्तों का नाम व पता

(i) नाम दानिश पुत्र याकूब निवासी ग्राम-बरनावा, तहसील बड़ौत जिला-बागपत

(ii) नाम ............ पुत्र ............

(iii) नाम ............ पुत्र ............

(iv) नाम ............ पुत्र ............

(v) नाम ............ पुत्र ............

निवासी ग्राम ............ डाकखाना ............

थाना ............ जिला ............

(3) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :–

(i) तिथि 18.03.2024

(ii) समय 6:45 AM

~~(iii) स्थान :– (क)~~ रेन्ज बड़ौत

(ख) ब्लाक का नाम/सड़क का नाम शाहपुर बाणगंगा वन ब्लॉक से 03 जूलीफ्लोरा वृक्षों का अवैध कटान

(4) अपराध का संक्षिप्त विवरण :–

(i) किस प्रकार की क्षति की गई:–

नाजायज चरान/कटान/सीमा स्तम्भों को उखाड़ना या तोड़ना आदि

(ii) वन क्षति का विवरण :–

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति पत्र संख्या

............

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से०मी०) में

प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

(ग) सीमा स्तम्भों की क्षति में स्तम्भों की संख्या आदि

(iii) वन क्षति का अनुमानित मूल्य

(5) साक्षियों का नाम व पता

(i) नाम सुशील कुमार उर्फ नीटू पुत्र बृजपाल नि० कस्बावल गेरठ

(ii) नाम संजय कुमार (व०र०) पुत्र रामकुमार नि० गढ़ी रामपुर शामली

(iii) नाम पुत्र

(iv) नाम पुत्र

(v) नाम C/o प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग, बागपत

निवासी ग्राम डाकखाना

थाना जिला

(6) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दण्डनीय है :–

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26

(i) दण्ड की धारा 26 5, 26, 33, एवं 63

(7) अभियाचना :–

अतः याचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम (उत्तर प्रदेश संशोधन 1065) की धारा 5, 26, 33 एवं 63 के अर्न्तगत उचित दण्ड दिया जाय एवं उन्हें नाजायज जोत से धारा 61–ए के अर्न्तगत बेदखल किया जाय।

शिकायतकर्ता

प्रमाणित

वन क्षेत्राधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बड़ौत

प्रमागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मेरठ

Scanned with OKEN Scanner

**न्यायालय में अनुपस्थिति हेतु आवेदन पत्र**

न्यायालय अप० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत

थाना वन विभाग, बागपत

भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 5, 26, 33, 63 भा० वन अधि० 1927 की धारा 26

राज्य उ०प्र० जिला ................. बागपत

श्रीमान

निवेदन यह है कि प्रार्थी अभियोगी जन सेवक होने के नाते जिला के केसेज व राजकीय कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केस में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थित होने में प्रार्थी असमर्थ रहेगा इसलिए प्रार्थी की और से श्री प्रदीप कौशिक ........................................ एडवोकेट ,पैनल, लायर न्यायिक अभिभावक पैरवी करेंगे।

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थति से मुक्त रखने की कृपा की जाये ।

प्रार्थी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

रेंज केस सं0 32/2024-25 (बडौत रेंज) की जाँच आख्या

महोदय,

रेंज केस स0! 32/2023-24 (बडौत रेंज) श्री मोहित चौधुरी वन रक्षक द्वारा शाहपुर बाण गंगा वन ब्लॉक में 03 यूकेलिप्टस वृक्षों का अवैध पातन के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा 26 के अन्तर्गत वन अपराध पंजीकृत किया गया। स्पॉट-टू केस का मौके का मिलान किया गया। जोकि सत्य पाया। मौके का नजरिया नक्शा तैयार किया गया। आस-पास पूछताछ एवं गहनता से जाँच के दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त दानिश पुत्र याकूब का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त दानिश पुत्र याकूब निवासी बसाया (बागपत) के मकान पर दबिश दी गई तो अभियुक्त मौके से फरार पाये। उसके बाद दिनाँक 12/04/2024 को अभियुक्त के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त द्वारा जारी नोटिस के क्रम में न तो कोई प्रति उत्तर दिया गया और न ही रेंज कार्यालय पर पहुँच कर अपने पक्ष में बयान दिये गये। अभियुक्त के परिवार के सदस्य तीनी एक काला के खिलाफ वन अपराध में मुकदमा पंजीकृत किये गये है।

महोदय से अनुरोध है कि अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

जाँच अधिकारी

R. [signature]

(राहुल कुमार सैम)

व0र0

सेक्शन प्रभारी-बसाया

रेंज बडौत-(बागपत)

प्रमाणित

[signature]

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बड़ौत

Scanned with OKEN Scanner

वन आकार-पत्र - एच-2

नजरिया नक्शा रेंज केस सं० 32/2024-25

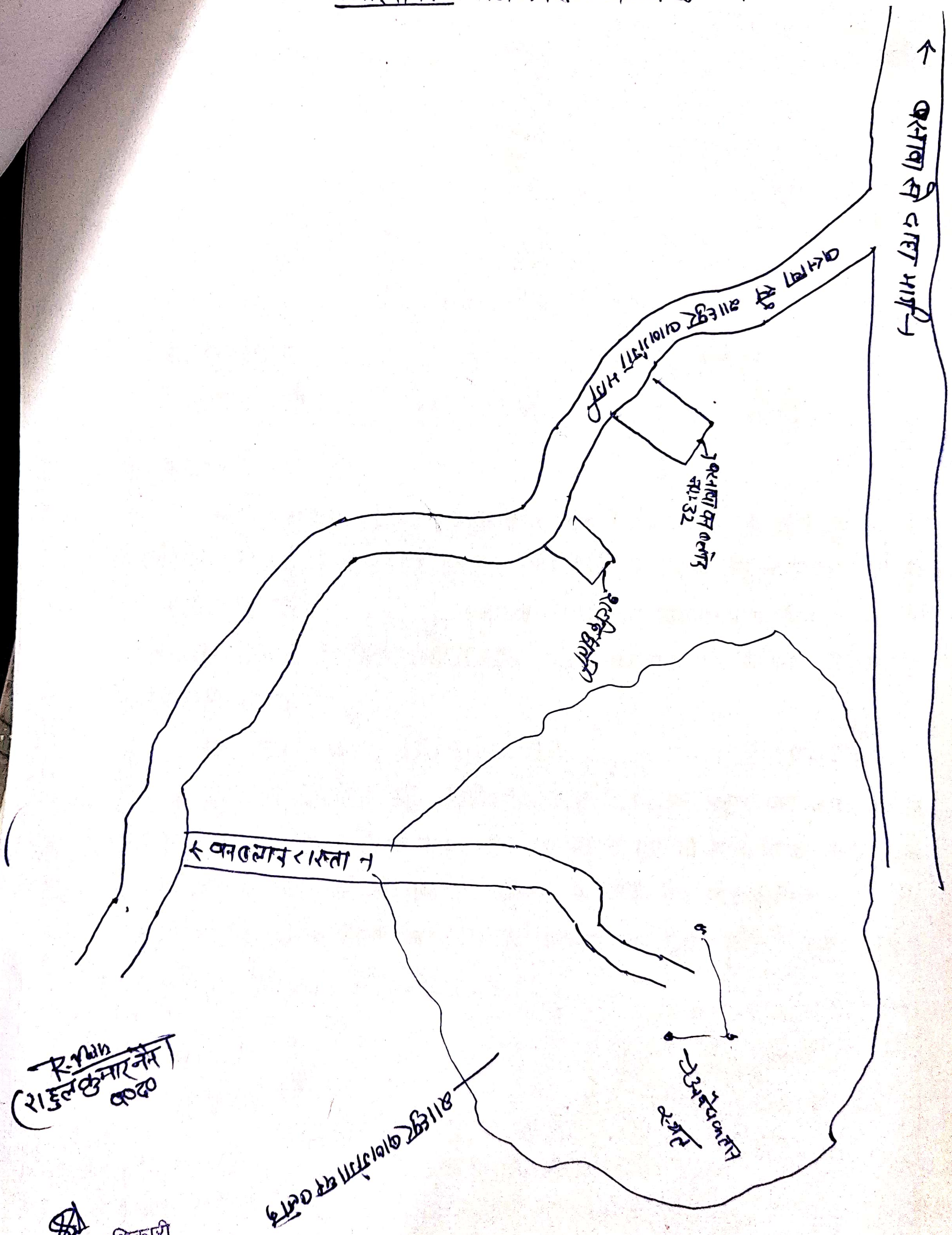

R. Kumar
(राहुल कुमार नैन)
व०द०

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

रेंज एच 2 केस सं. 32/2024-25 (बड़ौत

107

RU110092741IN IVR:8285110092741
RL BARAUT HO <250611>
Counter No:1,12/04/2024,12:08
To:LUKMAN,MRT
PIN:250344, Sarurpur Khurd SO
From:RFO ,BARAUT
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

# नोटिस

## उत्तर प्रदेश वन विभाग

श्री लुकमान पुत्र श्री इकबाल

नि0 ग्राम-हरी डा0 खरार जिला मेरठ

.मान्यवर,

आपको बजरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आपने शाहपुर बाणोगा के ब्लाक से जूलीफ्लोरा वृक्षों का अवैध पातन में आपकी संलिप्ता पाई गयी है। नाजायज तौर से वन अधिनियम के विरूद्ध 26 के अन्तर्गत वन अपराध किया गया। नाजायज तौर से सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई है।

अतः आप दिनांक 16/04/2024 को समय 11:00 बजे बजे क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय पर पहुंच कर अपने बचाव में ब्यान दें यदि आप नियत समय पर उपस्थित न हुए तो मान लिया जायेगा कि आप सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी है। और आपको कुछ नहीं कहना है ऐसी परिस्थिति में आपके विरूद्ध अदालते कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके आप हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

फॉरेस्ट सैक्सन ऑफिसर
बड़ौत।

रेंज एच 2 केस सं. 32/2024-25 (बड़ौत) 108

RU110092755IN IVR:8285110092755 भारतीय डाक
RL BARAUT HO <250611>
Counter No:1,12/04/2024,12:08
To:DANISH ,BARNAVA
PIN:250345, Binauli SO
From:RFO ,BARAUT
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96
<Track on www.indiapost.gov.in>

# नोटिस

## उत्तर प्रदेश वन विभाग

श्री दानिश पुत्र श्री याकूब

नि0 बरनावा डा0 रवाल जिला बागपत

मान्यवर,

आपको बजरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आपने शाहपुर बाणगंगा वन क्षेत्र से मुलीफलोरा वृक्षों का अवैध पातन में आपकी संलिप्तता पायी जाती नाजायज तौर से वन अधिनियम के विरूद्ध धारा 26 के अन्तर्गत वनअपराध किया गया। नाजायज तौर से सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई है।

अतः आप दिनांक 16/04/2024 को समय 11:00 बजे बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बड़ौत पर पहुंच कर अपने बचाव में ब्यान दें यदि आप नियत समय पर उपस्थित न हुए तो मान लिया जायेगा कि आप सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी है। और आपको कुछ नहीं कहना है ऐसी परिस्थिति में आपके विरूद्ध अदालते कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके आप हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे।

फॉरेस्ट सैक्सन ऑफिसर
बड़ौत।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

Scanned with OKEN Scanner

रेंज एच 2 केस सं. 32/2024-25/बड़ौत रेंज 109

RU110092738IN IVR:8285110092738 भारतीय डाक
RL BARAUT HO <250611>
Counter No:1,12/04/2024,12:08
To:YASIN ,BARNAVA
PIN:250345, Binauli SO
From:RFO ,BARAUT
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

# नोटिस

## उत्तर प्रदेश वन विभाग

श्री यासीन पुत्र श्री आलम

नि० बरनावा डा० रमाला जिला बागपत

मान्यवर,

आपको बजरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आपने बहादुरपुर गंगा वन ब्लाक से पुलिस द्वारा वृक्षों का अवैध पातन से आपकी संलिप्तता पाई गयी थी। नाजायज तौर से वन अधिनियम के विरूद्ध 26 के अन्तर्गत वन अपराध किया गया। नाजायज तौर से सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई है।

अतः आप दिनांक 16/04/2024 को समय 11:00 बजे बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बड़ौत पर पहुंच कर अपने बचाव में ब्यान दें यदि आप नियत समय पर उपस्थित न हुए तो मान लिया जायेगा कि आप सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी है। और आपको कुछ नहीं कहना है ऐसी परिस्थिति में आपके विरूद्ध अदालते कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके आप हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

फॉरेस्ट सैक्सन ऑफिसर
बड़ौत।

आज दिनांक 03/05/2024 को समय 11:15am पर मैं वसीम पुत्र खैराती निवासी बरनावा रेंज कार्यालय बड़ौत में उपस्थित हुआ। पिछले दिनों बरनावा के पास हुए किकर की वृक्षों के कटान के बारे में मैं यह जानता हूँ कि बरनावा के रहने वाले दानिश पुत्र याकूब उर्फ काला पेड़ काट कर बेच रहे हैं। कुछ दिन पहले एक सेमल का पेड़ कटा था जिसमें मेरा नाम आ रहा है। इसके बारे में मैंने जमील पुत्र मजीद निवासी बरनावा, जिसका मो० नं०-7060149320 है से बात की उसने मुझे इसके बारे में बताया जिसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग मैंने रेंजर साहब के फोन पर भेज दी है। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। आगे जब भी मुझे रेंजर साहब द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मैं आऊँगा।

ह० वसीम पुत्र खैराती
9759567480

गवाहों के नाम:-

(1) सलीम पुत्र जान. मोहम्मद
सलीम

(2) जुल्लू पुत्र गफ्फार
जुल्लू

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

ह० 18/03/2024

नं० A-7 — रेंज केस सं०. 32/2023-24 (बड़ौत रेंज) — वन आकार-पत्र - एच-2

क्रमांक

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) बागपत

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित)

वन अपराध की धारा 26 प्रसूचना (रिपोर्ट सं०) 857 दि० 18-3-2024 अधिक्षेत्र (रेन्ज)

अज्ञात

1. पिता का नाम और निवास स्थान

2. साक्षी का नाम संजय कुमार वन रक्षक

3. अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — दिनांक 18-3-2024 को शाहपुर बाणगंगा वन ब्लाक में रात्रि में प्रो० ज्यूलीफ्लोरा 03 वृक्ष काटना

4. मूल्य — ठूंठ गोलाई
1. 1.10 सेमी० - प्रोसोपिस ज्यूली०
2. 0.95 सेमी० - प्रोसोपिस ज्यूली०
3. 0.80 सेमी० - प्रोसोपिस ज्यूली०

5. चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) के सबंध में विशेष कथन — विभागीय कार्यवाही

श्री राहुल कुमार मैन व.द. शीघ्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करें।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,

आज दिनांक 18/03/2024 को समय लगभग प्रात: 6:45 बजे हमराह उक्त के साथ शाहपुर बाणगंगा वन ब्लॉक में पूर्व दिशा में गस्त करते हुये जा रहे थे प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा वृक्षों की कुछ टहनियाँ दिखाई पड़ी तो मौके पर जाकर देखा तो मौके पर 03 ज्यूलीफ्लोरा वृक्षों के ठूंठ पाये गये। जिनका मुख्य प्रकाण्ड मौके से गायब था। आस-पास माल व मुल्जिमों को काफी तलाश गया। किन्तु कोई सफलता नहीं मिली। माल व मुल्जिमों की तलाश जारी है। अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा 26 के अन्तर्गत वन अपराध किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी
(हस्ताक्षर) 18-3-24
मोहित चौधरी
वन दरोगा
प्र० प्रभारी-रूपापार
दि० 18/03/2024

प्रथम प्रति श्रीमान प्र० वना० बागपत की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग, बागपत**

संख्या /10–4 दिनांक बागपत ..................

सेवा में ,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागपत ।

द्वारा : रेंज ऑफिसर बड़ौत रेंज

विषयः वन अपराध 14/2024-25

संदर्भ :भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित

महोदय

इस प्रभाग को वन अपराध संख्या 14/2024-25 के निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम यथा संशोधित की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत उचित दंड दिया जाये ।

1. शिकायत पत्र
2. मुक्त एच०टू केस संख्या 14/2024-25 मय सम्बन्धित रिपोर्ट के
3. न्यायालय में अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र
4. वकालतनामा

संलग्नक उपरोक्त

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

संख्या उक्त दिनांक

प्रतिलिपि रेंज ऑफिसर ..................................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित उपरोक्त प्रलेखों को आज अपने न्यायिक अभभावक द्वारा जाँच करवाकर परगना दंड अधिकारी के न्यायलय में तुरंत प्रेषित करें ।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

## कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, बड़ौत रेंज, बागपत वन प्रभाग।
**पत्रांक 228 /28–1, दिनांक 20/02/ 2025.**

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

विषयः– रेंज केस सं0 14/2024–25 की अन्तिम जाँच आख्या।

महोदय,

निवेदन है कि बड़ौत रेंज के अन्तर्गत जारी रेंज केस सं0 14/2024–25 की जाँच आख्या, जॉच अधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त मा0 न्यायालय में वाद दर्ज कराने हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः– 1– जाँच अधिकारी, जाँच रिपोर्ट।
2– नजरिया नक्शा।
3– यासीन पुत्र खैराती के बयान (समक्ष गवाहान)
4– एच–2 केस की प्रति।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

Scanned with OKEN Scanner

2 रु. Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

10 RUPEES TEN G 01326927

# वकालतनामा

ब अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत

| | | |
|---|---|---|
| मु० नं० | सन् 2025 ई० | वादी अपीलान्ट |

परकिशन बनाम दाविश पुत्र याकूब निवासी पलाया (बागपत)

मैं कि

हम कि

प्रतिवादी रिसपांडेन्ट

जो कि हमको पैरवी करना इस मुकदमे में आवश्यक है इसलिए अपनी ओर से

अदालती कानूनों का तयांपता महनताने पर अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस मुकदमा में हमारी ओर से सबूत दाखिल करें और प्रश्नोत्तर करें और प्रार्थना-पत्र प्रत्येक प्रकार का और अन्य कागजात इस मुकदमे के सम्बन्ध में सवाल पंचायत दाखिल व तसदीक करें या वादावा या सुलहनामा या दस्तबरदारी दाखिल करें और रुपया याबतनी हमारा बाबत जर नगद व वापसी स्टाम्प कोर्ट फीस व तलबानी वगैरहा वसूल करके रसीद दें या अपनी जानिब से किसी को पंच मुकर्रर करें और कुल काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करें या आवश्यकता पर किसी को इस मुकदमे की पैरवी के वास्ते वकील नियुक्त करें या अपील दायर करें ख्वांह अपील में मेरी तरफ से जवाबदेही करें तथा कागजात सबूत दाखिल करें और किये हुये कागजात वापिस लें तथा वह सब वकील की कार्य स्वयं अपने किये हुये की तरह स्वीकार है और होगा एवं कलाम साहिबान को इख्तयार होगा कि अगर महनताना तयांपता हरब वायदह उनको वसूल न हो तो वह पैरवी बहस वगैरहा न करें इसलिये यह वकालतनामा लिख दिया कि सनद होवे और आवश्यकता के समय काम आवे।

फकत तहरीर तारीख ............................ सन् १९

तारीख दाखिल ............................ सन् १९

हस्ताक्षर (left margin) / नाम मय वल्दियत सुकूनत व जात (right margin) / हस्ताक्षर वकील

क्षेत्रीय ...धिकारी
बड़ौत

Pradeep Kumar Kaushik
Advocate
Reg. No.-1116/1995
C.O.P.No.-51780/2018
Chamber No.-9, Block-C
Distt. & Session Court, Baghpat
Mob. 8979423745, 9410604136

# शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत
अभियोग सं० 14/2024-25 बड़ौत रेंज

(1) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पद ............

(2) अभियुक्तों का नाम व पता ............

(i) नाम वाशिद पुत्र याकूब निवासी बसावा (बागपत)
(ii) नाम ............ पुत्र ............
(iii) नाम ............ पुत्र ............
(iv) नाम ............ पुत्र ............
(v) नाम ............ पुत्र ............
निवासी ग्राम ............ डाकखाना ............
थाना ............ जिला ............

(3) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :–
(i) तिथि 05-09-2024
(ii) समय ............
~~(iii) स्थान :– (क)~~ रेन्ज बड़ौत
(ख) ब्लाक का नाम/सड़क का नाम कोताना बाद बरनावा से राष्ट्रीय किनारा खसरो का अवैध कटान

(4) अपराध का संक्षिप्त विवरण :–
(i) किस प्रकार की क्षति की गई:–
नाजायज चरान/कटान/सीमा स्तम्भों को उखाड़ना या तोड़ना आदि
(ii) वन क्षति का विवरण :–
(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति पत्र संख्या
............
............
............
(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से०मी०) में
............ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
............
............

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

(2)

(ग) सीमा स्तम्भों की क्षति में स्तम्भों की संख्या आदि ............

(iii) वन क्षति का अनुमानित मूल्य ............

(5) साक्षियों का नाम व पता

(i) नाम सुशील कुमार पुत्र धनपाल नि० करनावल मेरठ

(ii) नाम संजीव कुमार (व०र०) पुत्र गरीब दास किशनपुर बिराल बागपत

(iii) नाम ............ पुत्र ............

(iv) नाम ............ पुत्र ............

(v) नाम ............

निवासी ग्राम प्र० प्रभागीय वनाधिकारी डाकखाना बागपत

थाना ............ जिला बागपत

(6) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अर्न्तगत अपराध दण्डनीय है :–

(i) दण्ड की धारा ............ 5, 26, 33, एवं 63

(7) अभियाचना :– ............ भारतीय वन अधिनियम (उत्तर प्रदेश संशोधन 1065) की धारा

अतः याचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम (उत्तर प्रदेश संशोधन 1065) की धारा 5, 26, 33 एवं 63 के अर्न्तगत उचित दण्ड दिया जाय एवं उन्हें नाजायज जोत से धारा 61–ए के अर्न्तगत बेदखल किया जाय।

शिकायतकर्ता

प्रमाणित

वन क्षेत्राधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

प्रमागीय

## न्यायालय में अनुपस्थिति हेतु आवेदन प्रत्र

न्यायालय ......मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत.........

थाना वन विभाग बागपत.........

भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 5, 26, 33, 63 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26

राज्य...उत्तरप्रदेश जिला ................. बागपत

श्रीमान

निवेदन यह है कि प्रार्थी अभियोगी जन सेवक होने के नाते जिला के केसेज व राजकीय कार्यो में व्यस्त रहता है और इस केस में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थित होने में प्रार्थी असमर्थ रहेगा इसलिए प्रार्थी की और से श्री...प्रदीप कौशिक.............................................. एडवोकेट ,पैनल, लायर न्यायिक अभिभावक पैरवी करेंगे।

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थति से मुक्त रखने की कृपा की जाये ।

प्रार्थी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

Scanned with OKEN Scanner

रेंजकेससं0:- 14/2024-25 (बड़ौतरेंज) की जाँचआख्या

महोदय,

रेंज केस सं0:- 14/2024-25 (बड़ौत रेंज) श्री संजय कुमार वन रक्षक द्वारा कोहिलाबाद वन ब्लॉक से 21 जुलिफ्लोरा वृक्षों का अवैध पातन के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अन्तर्गत वन अपराध पंजीकृत किया गया। स्थ-टू केस का मौके से मिलान किया गया जोकि सत्य पाया। आस पास पूछताछ एवं गहनता से जाँच के दौरान अभियुक्त दानिश पुत्र याकूब निवासी ग्राम-बरनावा, तहसील बड़ौत, थाना- बिनौली बागपत का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त दानिश द्वारा पूर्व मे भी वन अपराध किये गये है। अभियुक्त दानिश के मकान पर कई बार दबिश दी गई। जोकि मौके से फरार है। दानिश के फोटो संलग्न है। वासीम पुत्र खैराती निवासी बरनावा द्वारा लिखित बयान देकर बताया गया कि उपरोक्त वृक्षों को दानिश पुत्र याकूब निवासी बरनावा द्वारा काटा गया है। अभियुक्त को पूर्व में भी विभागीय नोटिस जारी किया गया था परन्तु अभियुक्त द्वारा अपने बचाव के पक्ष में कोई बयान नही दिया गया है।

महोदय, से अनुरोध है कि अभियुक्त दानिश पुत्र याकूब निवासी ग्राम-बरनावा के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

जाँच अधिकारी

R. Nain

(राहुल कुमार नैन)

व0द0

सै0 प्रभारी-बरनावा

रेंज-बड़ौत (बागपत)

अग्रसारित

[signature]

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बड़ौत

नजरिया नक्शा रेन्ज केस सं० 14/2024-25

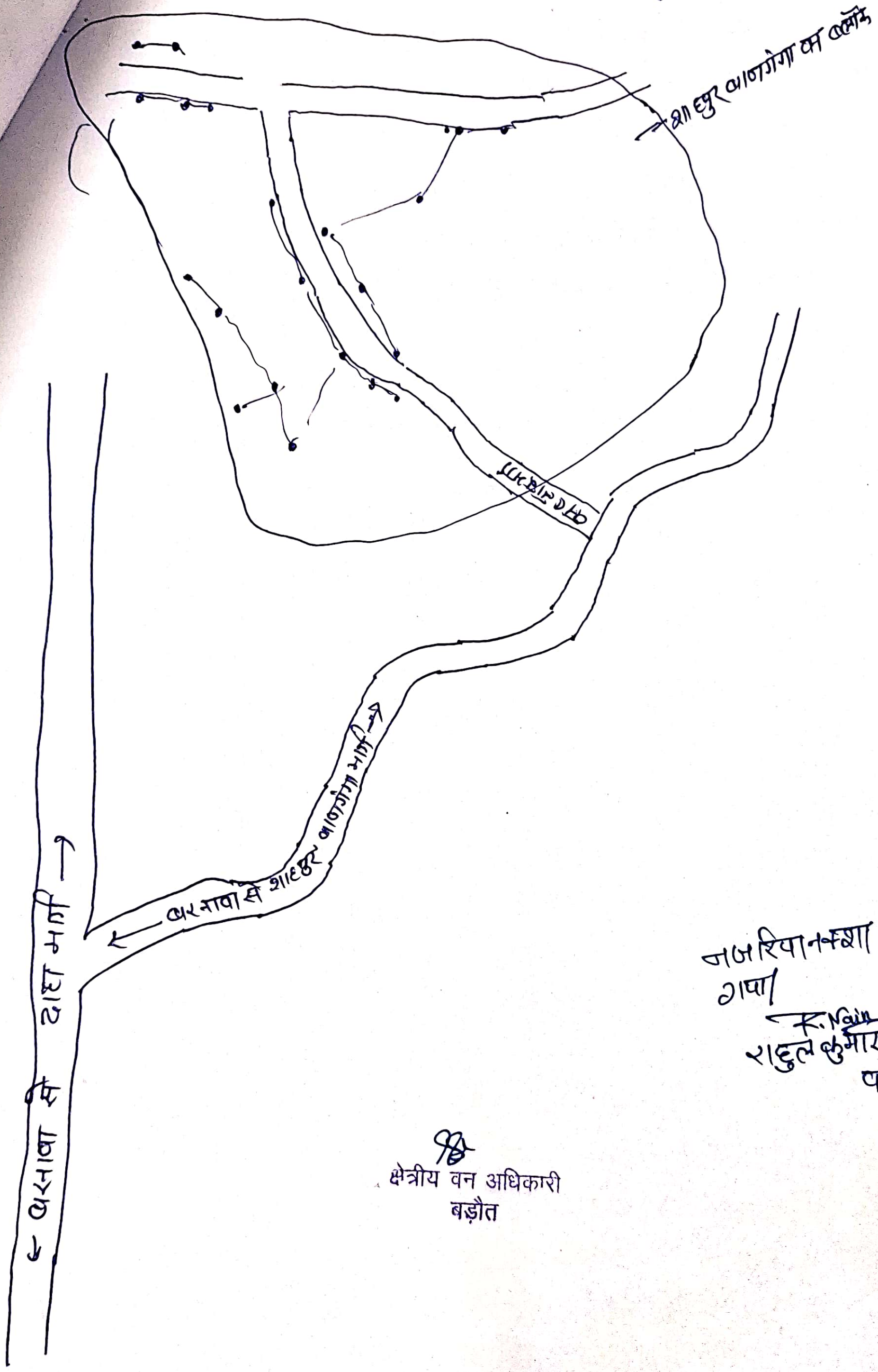


नजरिया नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया।

R.Nain
राहुल कुमार नैन
व०र०

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बड़ौत

## बयान

मैं सुशील कुमार दैनिक श्रमिक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा मोहिनाबाद पार्क ब्लॉक में 21 वृक्षों के अवैध कटान में मेरे द्वारा आस पास पूछताछ व मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त वृक्षों को दानिश पुत्र याकूब का नाम प्रकाश में आया। दानिश द्वारा पूर्व से वन अपराध किये गये हैं और उसके परिवार के सदस्य भी वन अपराध में संलिप्तता पायी गई है। यही मेरे बयान है

बयानकर्ता
सुशील कुमार
(सुशील कुमार दै. श्रमिक
द० आमीन बड़ौत रेंज
(बागपत)

वन आकार-पत्र - एच-2

क्रमांक

बुक नं० A-7

वन विभाग उत्तर प्रदेश [illegible] परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) [illegible]

भारतीय वन अधि० 1927 (यथा संशोधित) 675

वन अपराध की धारा 26 प्रसूचना (रिपोर्ट सं०) ............ दि० 05/09/2024 अधिक्षेत्र (रेन्ज)

1- 03 अज्ञात

1. पिता का नाम और निवास स्थान

2. साक्षी का नाम

3. अपराध का पूरा विवरण और दिनांक आज दिनांक 05/09/2024 को [illegible] वन ब्लॉक से 21 प्रो० यूकेलिप्टस का अवैध रूप से पातन करना।

4. मूल्य

| क्र०सं० | प्रजाति | घन मीटर |
| --- | --- | --- |
| 1- | यूकेलिप्टस | 0.85 |
| 2- | —"— | 0.98 |
| 3- | —"— | 1.[illegible] |
| 4- | —"— | 1.35 |
| 5- | —"— | 1.40 |
| 6- | —"— | 1.20 |
| 7- | —"— | 1.10 |
| 8- | —"— | 0.83 |
| 9- | —"— | 1.02 |
| 10- | —"— | 1.08 |
| 11- | यूकेलिप्टस | 0.82 / 1.11 |
| 12- | —"— | 0.97 |
| 13- | —"— | 0.92 |
| 14- | —"— | 0.90 |
| 15- | —"— | 1.07 |
| 16- | —"— | 0.90 |
| 17- | —"— | 1.16 |
| 18- | —"— | 0.91 |
| 19- | —"— | 1.15 |
| 20- | —"— | [illegible] |
| 21- | —"— | 0.65 |

5. चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में विशेष कथन

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय, आज दिनांक 05/09/2024 को उप प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ [illegible] के साथ [illegible] वन ब्लॉक व [illegible] वन ब्लॉक की आकस्मिक चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान [illegible] वन ब्लॉक से 21 प्रो० यूकेलिप्टस वृक्षों के ठूंठ पाये गये। आस-पास पूछताछ की गई परन्तु अभियुक्तों का नाम प्रकाश में नहीं आया। अभियुक्तों की तलाश जारी है। अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा 26 के अन्तर्गत वन अपराध किया गया है। वृक्षों का सम्पूर्ण प्रकाष्ठ मौके से गायब था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रथम प्रति श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रेषी

SK

(संजय कुमार [illegible])

बड़ौत रेंज ([illegible])

दि० 05/09/2024

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बड़ौत

Scanned with OKEN Scanner